[2017] 3 एस. सी. आर. 723

जस्टिस सुनंदा भंडारी फाउंडेशन

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया और एक अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 116/1998) में आई. ए. संख्या 10/2015)

अप्रैल 25,2017

[दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर और मोहन एम. शांतनागौदर, जे. जे.]

विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम,2016- विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995-इस न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारी फाउंडेशन बनाम भारत संघ में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1995 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्देश जारी करना-केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को उक्त निर्णय का पालन करने के लिए निर्देश जारी करना-अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई, हालांकि, अनुपालन पूर्ण नहीं है-संसद ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की राष्ट्रीय आवश्यकता और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन के प्रति प्रतिबद्धता को महसूस करते हुए, 1995 के अधिनियम को निरस्त कर दिया और 2016 के अधिनियम-2016 में लाया गया अधिनियम व्यापक परिवर्तन की कल्पना करता है और इसमें शामिल लाभों को वास्तविक रूप देने की परिकल्पना की गई है।

मामले को स्थगित करते हुए, न्यायालय ने मानाः

1. संसद ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की राष्ट्रीय आवश्यकता और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन के प्रति प्रतिबद्धता को महसूस करते हुए विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को निरस्त कर दिया और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 लाया। उक्त 2016 अधिनियम को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को प्रभावी बनाने और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए अस्तित्व में लाया गया है। 2016 का अधिनियम एक व्यापक परिवर्तन की कल्पना करता है और उक्त अधिनियम के तहत निहित लाभों को वास्तविक रूप देने की कल्पना करता है। लाभ का पूरा व्याकरण बेहतरी के लिए बदल दिया गया है, और कई लोगों की जिम्मेदारियों को शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में, अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की शरीर रचना को स्कैन करना और उन्हें लागू करना अनिवार्य हो जाता है। कानून के ढांचे के भीतर निहित प्रशंसनीय नीति को लागू किया जाना चाहिए और यह एक दूर का सपना नहीं बनना चाहिए। कार्रवाई की तत्काल मध्यस्थता वारंट है।(739-इ-एफ;740-एफ-जी)

1.2 2016 का अधिनियम अधिनियमित किया गया है और इसकी कई प्रमुख विशेषताएं हैं। विकलांग व्यक्तियों पर अधिक अधिकार सीमित किए गए हैं और अधिक श्रेणियां जोड़ी गई हैं। इसके अलावा, न्याय तक पहुंच, मुफ्त शिक्षा, स्थानीय अधिकारियों की भूमिका, राष्ट्रीय कोष और विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य कोष बनाया गया है। 2016 का अधिनियम उल्लेखनीय रूप से धारणा में एक बड़ा बदलाव है और विकलांग व्यक्तियों और राज्यों, स्थानीय प्राधिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों और कंपनियों की भूमिका के संबंध में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विशेष अदालत, त्वरित सुनवाई और विशेष लोक अभियोजक पर जोर दिया जाता है। कानून एक व्यापक स्पेक्ट्रम में

काम करता है और अधिकारों की रक्षा करने और उनके उल्लंघन के लिए सजा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। [पैरा 23] (746-एफ.एच.)

1.3 मुख्य पहलुओं में बदलाव के संबंध में, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2016 के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह महसूस करना चाहिए कि 2016 के अधिनियम के तहत उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उन्हें अधिनियम के उद्देश्य को साकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि विकलांगों के अधिकारों के संबंध में कई क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। जब कानून विकलांग व्यक्तियों के लिए इतना चिंतित होता है और प्रावधान करता है, तो यह कानून निष्पादन अधिकारियों का दायित्व है कि वे इसे काफी शीघ्रता से लागू करें। इस संबंध में उठाए गए कदमों को निर्धारित समय के भीतर अनुपालन रिपोर्ट में ठोस रूप से बताया जाएगा। जब राज्यों को निर्देश दिया जाता है, तो राज्यों और उनके अधिकारियों पर यह देखने का भी कर्तव्य डाला जाता है कि सहकारी समितियों, कंपनियों, फर्मों, संघों और प्रतिष्ठानों, संस्थानों के लिए निहित और लागू होने वाले वैधानिक प्रावधानों का ईमानदारी से पालन किया जाए। राज्य सरकारें 2016 के अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगी ताकि यह न्यायालय प्रगति की सराहना कर सके। [पैरा 24) [747-ए-डी]

*न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारी फाउंडेशन बनाम भारत संघ और एक अन्य (2014) 4 एस. सी. आर. 113:14 (14) एस. सी. सी. 383; भारत संघ और एक अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और एक अन्य (2013) 9 एस. सी. आर. 1023:13 (10) धारा 772-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 4 एस. सी. आर. 113 पैरा 1 संदर्भित

[2013) 9 एस. सी. आर. 1023 पैरा 2 संदर्भित

सिविल मूल क्षेत्राधिकार:-1998 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 116

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

2015 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 10

एस. एस. शमशेरी, ए. ए. जी., श्रीमती वी. मोहना, ए. के. संघी, सीनियर एड बनाम मनाली सिंघल, संतोष सचिन, सुश्री विनीता शशिधरन, रोहित कौल, तेजस्वी कुमार, एस. सरफराज करीम, दीपक सिंह रावत, अंबर कमरुद्दीन, डॉ. मोनिका गुसैन, अभिजीत सेनगुप्ता, पवन श्री अग्रवाल, अभिषेक चौधरी, अनिल कुमार तांडले, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज बिस्वास, अनिरुद्ध पी. मयी, ए. सेल्विन राजा, अनुव्रत शर्मा, अर्जुन गर्ग, अरुण के. सिन्हा, सपम विश्वजीत मेइतेई, नरेश कुमार गौर, एम. एन. सिंह, अशोक। शिवाली चौधरी, सौमित्र जी चौधरी, चंचल कुमार गांगुली, सी. के. शशि, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, डी. एस. माहरा, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, सुश्री वर्षा पोद्दार, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, मनु श्रीनाथ, गुलशन बाजवा, जगजीत सिंह छाबड़ा, कमलेंद्र मिश्रा, के. वी. मोहन, एम. ए. कृष्ण मूर्ति, निमिमेश दुबे, पी. एन. गुप्ता, पी. एन. रामलिंगम, प्रशांत कुमार, प्रवीण स्वरूप, गर्ग शिखर, गणेश बापू, पी. वी. योगेश्वरन, राजीव शर्मा, राज वाकास, आदित्य प्रताप सिंह, टी. वी. जॉर्ज, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन, वी. एन. रघुपति, सुश्री ए. सुभाशिनी, भुपेश नरूला, के. वी. जगदीशवरन, सुश्री जी. लंदिरा, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री के. एनाटोली सेरना, एडवर्ड बेल्हो, अमित कुमार सिंह, के. लुइकांग माइकल,

सुश्री एल. एक्स. गनमेई, जेड. एच. इसाक रेडिंग, प्रताप वेनुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, सुश्री निहारिका, अमन शुक्ला, सुश्री कनिका कलसियारसन, एम/एस के. जे. जॉन एंड कंपनी, सुश्री निरंजना सिंह, अविरल सक्सेना, सुकृत कपूर, सुश्री मोनिका, नित्या मधुसूदनन, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री सुमिता हजारिका, सुश्री सुषमा सूरी, सुश्री सुष्मिता लाल, पंकज सिन्हा, सुश्री राजकुमारी बंजू, एम. योगेश कम्म, सुश्री निथ्या, श्रीमती महा लक्ष्मी, प्रताप सारथी, आर. के. राठौर, सुश्री रितु भारद्वाज, राज बहादुर, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, सुश्री सुनीता शर्मा, सुश्री रेखा पांडे, बी. के. प्रसाद, जी. एम. कावूसा, एम. शोएब आलम, मनोज आर. सिन्हा, महालिंग पांडर्गे, निशांत रणकंटराव कटनेश्वरकर, एस. उदयकुमार सागर, मृत्युंजय सिंह, अमित शर्मा, अंकित राज, सुश्री अरुणा माथुर, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, अमित अरोड़ा उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय दीपक मिश्रा, जे, द्वारा दिया गया था।

1. तत्काल अंतर्वर्ती आवेदन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारी फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य[1] में दिए गए फैसले का पालन करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए दायर किया गया था। उक्त मामले में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने रिट याचिका में पारित विभिन्न आदेशों पर ध्यान दिया, विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (संक्षिप्तता के लिए, '1995 अधिनियम') के प्रावधानों को लागू करने के लिए अनुरोध और यह घोषणा करने के लिए कि चिन्हित पदों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकायों और कॉलेजों में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नियुक्ति से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 41 के साथ पठित अनुच्छेद 14 और 15 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

2. एक टाइम-मशीन में बैठकर, हम उक्त मामले में, 1995 के अधिनियम की धारा 33, जो पदों के आरक्षण और विभिन्न पहलुओं से संबंधित थी, को फिर से लागू करने के बाद, भारत संघ और अन्य बनाम राष्ट्रीय टाइल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य न्यायालय में दिए गए निर्णय का एक उपयोगी संदर्भ दे सकते हैं, जो निम्नानुसार निर्देशित हैः -

> "हमारी राय में, विकलांगों के लिए आरक्षण नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, निम्नलिखित निर्देश जारी करना आवश्यक हैः
>
> (i) हम एतद्द्वारा अपीलार्थी को निर्देश देते हैं कि वह इस निर्णय के पारित होने की तारीख से तीन महीने के भीतर इस न्यायालय के आदेश के अनुरूप दिनांकित ओ. एम. और बाद के ओ. एम. को संशोधित करते हुए एक उचित आदेश जारी करे।
>
> (ii) हम एतद्द्वारा "उपयुक्त सरकार" को निर्देश देते हैं कि वह सभी "प्रतिष्ठानों" में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की गणना करे और आज से तीन महीने की अवधि के भीतर विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों की पहचान करे और बिना चूक के इसे लागू करे।
>
> (iii) अपीलार्थी इसमें सभी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी कंपनियों को निर्देश जारी करेगा कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की योजना का पालन न करने को गैर-आज्ञाकारिता और गैर-आज्ञाकारिता कार्य माना जाना चाहिए।"

3. उक्त मामले में, न्यायालय ने रोजगार की अवधारणा पर जोर देते हुए इस प्रकार व्यक्त कियाः -

> "विकलांग लोगों के सशक्तिकरण और समावेश में रोजगार एक प्रमुख कारक है। यह एक योजनाबद्ध वास्तविकता है कि विकलांग लोग नौकरी से बाहर हैं, इसलिए नहीं कि उनकी विकलांगता उनके काम करने के रास्ते में आती है, बल्कि यह सामाजिक और व्यावहारिक बाधाएं हैं जो उन्हें कार्यबल में शामिल होने से रोकती हैं। नतीजतन, कई विकलांग लोग गरीबी और दयनीय परिस्थितियों में रहते हैं। उन्हें अपने जीवन और अपने परिवार और समुदाय के जीवन में उपयोगी योगदान देने के अधिकार से वंचित किया जाता है। भारत संघ, राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों का भारत के संविधान के तहत और सामान्य रूप से मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संधियों के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का एक स्पष्ट दायित्व है। भले ही यह अधिनियम 1995 में लागू किया गया था, लेकिन विकलांग लोग आज तक आवश्यक लाभ प्राप्त करने में विफल रहे हैं।"

4. वर्तमान याचिकाकर्ता, अर्थात न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारी फाउंडेशन (उपरोक्त) के मामले में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ 1995 के अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित थी। उस संदर्भ में, यह निम्नलिखित रूप में देखा गयाः -

> "जो भी हो, 1995 के अधिनियम के लाभकारी प्रावधानों को केवल वर्षों तक कागज पर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस

तरह इस तरह के कानून और विधायी नीति के उद्देश्य को विफल कर दिया जा सकता है। केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और वे सभी जिन पर 1995 के अधिनियम के तहत दायित्व डाला गया है, उन्हें इसे प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। वास्तव में, इस तरह के मामले में सरकारों की भूमिका सक्रिय होनी चाहिए। अलग तरह से नेतृत्व करने वालों को राहत प्रदान करने के मामलों में, कार्यपालिका का दृष्टिकोण और दृष्टिकोण उदार और राहत उन्मुख होना चाहिए न कि अवरोधक या सुस्त। इस वर्ग के लिए थोड़ी सी चिंता जो अलग तरह से सक्षम हैं, उनके जीवन में चमत्कार कर सकती है और उन्हें अपने दम पर खड़े होने में मदद कर सकती है और दूसरों की दया पर नहीं रह सकती है। कल्याणकारी राज्य, जो भारत है, को हमारे समाज के एक ऐसे वर्ग पर अपना सर्वश्रेष्ठ और विशेष ध्यान देना चाहिए जिसमें अलग तरह से सक्षम नागरिक शामिल हैं। यह सच्ची समानता और समान विपक्ष एकता का प्रभावी प्रदान है। "

5. आगे बढ़ते हुए इसने निम्नलिखित तरीके से अपनी पीड़ा व्यक्त कीः -

"1995 के अधिनियम को पारित हुए 18 साल से अधिक समय बीत चुका है और फिर भी हम केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा 1995 के अधिनियम को लागू करने की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिन पर इसे लागू किया गया है।"

6. उक्त पीड़ा की अभिव्यक्ति के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किएः -

"हमारे विचार में, 1995 के अधिनियम को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए, यदि अब तक लागू नहीं किया गया है।"

7. सचिव, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, भारत संघ के मुख्य आयुक्त और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त उपरोक्त समय के भीतर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के संबंध में सभी मामलों में 1995 के अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री मनाली सिंघल द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि निर्णय दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आवेदन दायर किए गए थे। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 1995 के अधिनियम के अनुपालन को दर्शाते हुए एक संशोधित सुविधा चार्ट दायर किया है। विद्वान परामर्शदाता द्वारा की गई अंतिम टिप्पणियों को एक सारणीबद्ध चार्ट में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। हम उसी को पुनः पेश करना उचित समझते हैंः -

अंतिम टिप्पणियां

क्रम	प्रतिवादी राज्य	अधिनियम के अनुपालन पर टिप्पणी/अवलोकन
1.	यू. जी. सी.	शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए लगभग एक तिहाई सीटें दाखिल की हैं, जिसमें अधिनियम में 3 प्रतिशत सीटें दाखिल करने की आवश्यकता है।
2.	झारखंड राज्य	फिर भी धारा 29 (शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान) के प्रावधानों का पालन करना जैसा कि निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 30 (व्यापक शिक्षा योजना), 40

		(गरीबी उन्मूलन योजनाएं) और 41 (नियोक्ताओं को प्रोत्साहन) का भी पालन नहीं किया गया है। धारा 44 (परिवहन में गैर-भेदभाव)-46 (निर्मित वातावरण में गैर-भेदभाव) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। धारा 49 (अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय प्रोत्साहन) का पालन नहीं किया गया है और यह अभी भी विचाराधीन है। राज्य द्वारा धारा 68 (सामाजिक सुरक्षा-बेरोजगारी भत्ता) का कोई अनुपालन नहीं किया गया है। हलफनामा धारा 68 (बेरोजगारी भत्ता) के अनुपालन के बारे में चुप है।
3.	राजस्थान राज्य	• अधिनियम की धारा 28 (सहायक उपकरण, श्रवण सहायता), 31 (दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अमानूएनसिस), 39 (सीटों का आरक्षण), 48 (अनुसंधान), 49 (अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय प्रोत्साहन) और 67 (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम) के अलावा राजों के अनुपालन पर हलफनामा मौन है।
4.	पंजाब राज्य	• 5 प्रतिशत कार्यबल पीडब्ल्यूडी का होना सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है। धारा 41 (नियोक्ताओं को प्रोत्साहन) का गैर-अनुपालन. धारा 28 (सहायक उपकरण, श्रवण सहायता), 48 (अनुसंधान) और 49 (अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय प्रोत्साहन) का गैर-अनुपालन,

		योग्यता पदोन्नति
5.	तमिलनाडु राज्य	धारा 49 (अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय प्रोत्साहन) का अनुपालन राज्य द्वारा नहीं किया गया है। 56 (गंभीर विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान) राज्य द्वारा नहीं लाया गया। राज्य द्वारा धारा 66-68(सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम) का अनुपालन पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है क्योंकि पुनर्वास के पहलू पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। (बचाव योजना के लिए केवल एक सीमित राशि आवंटित की गई है और केवल कुष्ठ रोग से प्रभावित और भीख मांगने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास गृहों में रखा गया है)। धारा 43 (भूमि का अधिमान्य आवंटन) का अनुपालन निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
6.	कर्नाटक राज्य	राज्य ने आदेश की तारीख 26.04.2016 के अनुरूप कर्नाटक में हलफनामा दायर नहीं किया है क्योंकि यह पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 28 (सहायक उपकरण, श्रवण सहायता), 41 (नियोक्ताओं को प्रोत्साहन), 48 (अनुसंधान), 49 (अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय प्रोत्साहन), 66 और 67 (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम) के अनुपालन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चुप है।
7.	बिहार राज्य	• "राज्य समन्वय समिति का बिहार में पुनर्गठन नहीं किया गया है, इस प्रकार धारा 13 का अनुपालन नहीं किया गया है। (नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन) को चित्रित

		नहीं किया गया है। हलफनामा अधिनियम की धारा 67 और 68 (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों) के अनुपालन पर चुप है।
8.	पांडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश	धारा 25 (ए)-25 (एच) (रोकथाम और प्रारंभिक पहचान), धारा 27-30 (गैर-औपचारिक शिक्षा), धारा 38 (एम्प्लो के लिए योजनाएं)-111 (नियोक्ताओं को प्रोत्साहन) और 43 (भूमि का अधिमान्य आवंटन) पर मौन। इसके अलावा, शपथ पत्र एस. 44-47 (परिवहन और निर्मित निवेश और सरकारी नौकरियों के साथ भेदभाव), 48-49 (विश्वविद्यालयों के लिए अनुसंधान और प्रोत्साहन), 67-68 (सामाजिक सुरक्षा) और यहां तक कि धारा 73 (सरकारी नियम) पर भी मौन है।
9.	अंडमान और निकोबार द्वीप संघ शासित प्रदेश	• धारा 32 (पदों की पहचान) के प्रावधान अभी भी कार्यान्वयन चरण में हैं क्योंकि राज्य ने धारा के प्रावधानों के अनुपालन के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुखों से अनुरोध किया है। धारा 34 (विशेष रोजगार आदान-प्रदान) का कोई अनुपालन नहीं, आगे धारा 34-44 (रोजगार और लाभ संबंधी मानदंड) का कोई अनुपालन/कार्रवाई नहीं की गई। धारा 73 (सरकारी नियम) के प्रावधानों के तहत निर्धारित नियम नहीं बनाए गए हैं।
10.	एन. सी. टी. दिल्ली	• अधिनियम की धारा 34 (विशेष रोजगार विनिमय) के

		तहत विशेष रोजगार विनिमय पर हलफनामा मौन है। धारा 41 (नियोक्ताओं को प्रोत्साहन) का कोई अनुपालन नहीं। राज्य निजी/सार्वजनिक नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रहा है कि कम से कम 5 प्रतिशत कार्यबल विकलांग व्यक्तियों से बना हो।
11.	मणिपुर राज्य	• पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 25 (ए) (मणिपुर की रोकथाम और शीघ्र पहचान) के अनुपालन में यह कहा गया है कि अनुभवी श्रमशक्ति और बुनियादी ढांचे की बाधाओं के कारण विकलांग होने के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 34 के तहत पीडब्ल्यूडी के लिए विशेष रोजगार विनिमय स्थापित करने पर हलफनामा मौन है। हलफनामा पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 41 (नियोक्ताओं को प्रोत्साहन) का पालन न करने को स्वीकार करता है। हलफनामा धन की अनुपलब्धता के कारण पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 42 (सहायता और उपकरण) का पालन न करने को स्वीकार करता है। हलफनामा धन की कमी के कारण पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 67 (सामाजिक सुरक्षा) का पालन न करने को स्वीकार करता है।
12.	केंद्र शासित प्रदेश	धारा 41 (नियोक्ताओं को प्रोत्साहन) का अनुपालन नहीं

	चंडीगढ़	किया गया है और पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 67-68 (सामाजिक सुरक्षा) को आगे बढ़ाने में कोई अनुपालन नहीं किया गया है।
13.	उत्तर प्रदेश राज्य	• पाठ्यक्रम के पुनर्गठन के लिए धारा 30 (व्यापक शिक्षा योजना) के प्रावधान अभी भी विचाराधीन हैं। अधिनियम की धारा 41 (नियोक्ताओं को प्रोत्साहन) के तहत अनुपालन अभी भी विचाराधीन हैं।
14.	त्रिपुरा राज्य	• धारा 28 त्रिपुरा (सहायक उपकरण, श्रवण सहायता), 48 और 49 (विश्वविद्यालयों को अनुसंधान और प्रोत्साहन) के प्रावधानों का अनुपालन अनुसंधान और मानव शक्ति विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम के अधिदेश के अनुसार किसी भी तरह से नहीं किया गया है।
15.	गुजरात राज्य	• धारा 28 गुजरात (सहायक उपकरण, श्रवण सहायता) के प्रावधानों का अनुपालन हलफनामे में सामने नहीं लाया गया है। अधिनियम की धारा 40 (गरीबी उन्मूलन योजनाएं) के अनुपालन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। धारा 41 (नियोक्ताओं को प्रोत्साहन) के प्रावधानों का अनुपालन सामने नहीं लाया गया है।
16.	असम राज्य	• धारा 28 (सहायक उपकरण, श्रवण सहायता) के

		प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। धारा 67 (सामाजिक सुरक्षा) के प्रावधानों का अनुपालन राज्य के हलफनामे में सामने नहीं लाया गया है क्योंकि इसे अभी तक तैयार नहीं किया गया है।
17.	अरुणाचल प्रदेश राज्य	हलफनामा अधिनियम के अन्य प्रावधानों के कार्यान्वयन पर चुप है। हलफनामा केवल अधिनियम की धारा 33 (पदों का आरक्षण), 68 (सामाजिक सुरक्षा) और 42 सहायता और गठबंधनों के अनुपालन की बात करता है।
18.	गोवा राज्य	• अधिनियम की धारा 28 (सहायक उपकरण, श्रवण सहायक) के प्रावधानों के तहत अनुपालन में। राज्य सरकार अभी भी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 41 (नियोक्ताओं को प्रोत्साहन), धारा 43 (भूमि का अधिमान्य आवंटन)-45 (सड़क में गैर-भेदभाव) के तहत प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
19.	मेघालय राज्य	हलफनामा धारा 39 (सीटों का आरक्षण) को छोड़कर पीडब्ल्यूडी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के साथ किए जाने वाले अनुपालनों पर चुप है।
20.	सिक्किम राज्य	राज्य में धारा 48 (अनुसंधान) के प्रावधानों के तहत कोई परियोजना नहीं ली गई है।

21.	छत्तीसगढ़ राज्य	विकलांग बच्चों के लाभ के लिए पाठ्यक्रम के पुनर्गठन और पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 30-31 के तहत अनिवार्य रूप से अध्ययन के प्रावधान के संबंध में छत्तीसगढ़ के प्रावधान पर हलफनामा मौन है। पीडब्ल्यूडी के लिए बीमा योजनाओं के प्रावधान के संबंध में हलफनामे में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के लिए कोई अलग बीमा योजना नहीं है। विकलांग कर्मचारी राज्य की समूह बीमा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं।
22.	नागालैंड राज्य	हलफनामा आदेश की तारीख 26.04.2016 के अनुपालन में नहीं है, हालाँकि पहले का हलफनामा निम्नलिखित दिखाता हैः - पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 13 और 19 के तहत क्रमशः अनिवार्य राज्य समन्वय समिति और राज्य कार्यकारी समिति के गठन पर शपथ पत्र मौन; शपथ पत्र धारा 25 (ए)-25 (एच) में प्रदान किए गए निवारक और शीघ्र पता लगाने के उपायों के कार्यान्वयन पर मौन है। शपथ पत्र गैर-औपचारिक शिक्षा योजनाओं या कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, नए सहायक उपकरणों, शिक्षण सहायता आदि को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, परिवहन सुविधाओं, एमानुएनसिस के प्रावधान आदि की स्थापना पर मौन है।
23.	लक्षद्वीप केंद्र शासित	हलफनामा दिनांकित 26.04.2016 आदेश के अनुपालन

	प्रदेश	में नहीं है, हालाँकि पहले का हलफनामा निम्नलिखित दिखाता हैः - पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 26 (बी)-(डी) के तहत अनिवार्य विशेष स्कूलों की स्थापना पर शपथ पत्र मौन है। 28 नए सहायक उपकरणों, शिक्षण सहायकों आदि को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए आवश्यक अनुसंधान। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए एमानुएनसिस के प्रावधान पर धारा 31 के कार्यान्वयन पर शपथ पत्र मौन है। विकलांग व्यक्तियों से बने कार्यबल का 5 प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को धारा 41 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर शपथ पत्र मौन है। 56 गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव। धारा 67 के तहत अनिवार्य कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन पर शपथ पत्र मौन है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा धारा 73 के तहत नियमों के गठन पर शपथ पत्र मौन है।
24.	उत्तराखंड राज्य	हलफनामा आदेश तिथि 26.04.2016 के अनुपालन में नहीं है, हालांकि पहले का हलफनामा निम्नलिखित दिखाता हैः - हालाँकि शपथ पत्र में धारा 26-31 के प्रावधानों के अनुपालन की बात की गई है, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है जैसे, गैर-औपचारिक शिक्षा

		के लिए योजनाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, नए सहायक उपकरणों को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए अनुसंधान, पाठ्यक्रम पुनर्गठन, विकलांग बच्चों के माता-पिता की शिकायतों के निवारण के लिए मंच, 'अनुशासन का प्रावधान' आदि। यद्यपि शपथ पत्र में धारा 32-41 के प्रावधानों के अनुपालन की बात की गई है, लेकिन सभी शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान, नियोक्ताओं को प्रोत्साहन, भूमि के तरजीही आवंटन के लिए योजनाएं आदि जैसे बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।
25.	आंध्र प्रदेश राज्य	धारा 56 के प्रावधान के अनुपालन में विशाखापत्तनम में रीढ़ की हड्डी में चोट केंद्र की स्थापना पर विचार किया जा रहा है और बेसहारा और विकलांगों के लिए चार घरों की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है।
26.	मध्य प्रदेश राज्य	राज्य के 41 जिलों में दृष्टिबाधित, श्रवण और मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए मध्य प्रदेश में विशेष विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किया जा रहा है। धारा 26 (सी. डब्ल्यू. डी. के लिए मुफ्त शिक्षा) का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है) धारा 29 (शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान) के अनुपालन में किसी भी उपाय का पालन नहीं किया गया है। धारा 30 (व्यापक शिक्षा योजना) के संबंध में हलफनामा पाठ्यक्रम के पुनर्गठन के पहलू पर चुप है।

		हलफनामे में धारा 46 (निर्मित वातावरण में गैर-भेदभाव) पर उनका मौन है। हलफनामा धारा 47 (सरकारी नौकरियों में भेदभाव) के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर मौन है। हलफनामा धारा 49 (अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय प्रोत्साहन) के कार्यान्वयन पहलू पर मौन है।
27.	जम्मू-कश्मीर राज्य	आदेश तिथि 26.04.2016 के अनुपालन में कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया है। हालांकि, राज्य ने पहले एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है।
28.	पश्चिम बंगाल राज्य	हालांकि हलफनामा पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 26-31 के बंगाल अनुपालन पर बोलता है, हालांकि व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं, विशेष अंशकालिक कक्षाओं के संचालन, नए सहायक उपकरणों और शिक्षण उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए अनुसंधान की शुरुआत, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना आदि जैसे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
29.	दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश	हलफनामा धारा 31-32 (दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अमानूएनसिस) (पदों की पहचान), 34-41 (रोजगार और लाभ संबंधी योजनाएं), 48-49 (अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय प्रोत्साहन), 56 (गंभीर विकलांग

		व्यक्तियों के लिए संस्थान) और धारा-66-68 (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम) के अनुपालन पर चुप है।
30.	हरियाणा राज्य	पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 29 (शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान) के तहत अनिवार्य रूप से विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यक्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के प्रावधान पर हलफनामा मौन है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 30-31 (व्यापक शिक्षा योजना) और (दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अमानूएनसिस) के तहत अनिवार्य रूप से नए सहायक उपकरणों और शिक्षण उपकरणों को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए अनुसंधान शुरू करने, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आदि की स्थापना पर हलफनामा चुप है।
31.	महाराष्ट्र राज्य	सरकार द्वारा अनुपालन किए गए हैं।
32.	दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश	धारा 26-32 (पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए शिक्षा और सहायक उपकरण), 34-55 और 57-68 के प्रावधानों के संबंध में कोई अनुपालन या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। शपथ-पत्र उपरोक्त धाराओं के संबंध में मौन है।
33.	केरल राज्य	राज्य ने विभिन्न उपायों और विभिन्न योजनाओं का आश्वासन दिया है लेकिन अब तक की गई परियोजनाओं की प्रगति/कार्यान्वयन पर कोई स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है

34.	ओडिशा राज्य	धारा 45 का गैर-अनुपालन क्योंकि प्राप्त निधियों का उपयोग नहीं किया गया है। धारा 49 का गैर-अनुपालन क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
35.	हिमाचल प्रदेश राज्य	पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 68 (सामाजिक सुरक्षा योजनाओं) के अनुपालन के संदर्भ में राज्य सरकार प्रस्तुत करती है कि ऐसी योजना को लागू किया जा रहा है। 41,961 विकलांग व्यक्तियों को केवल विकलांग राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है।
36.	मिजोरम राज्य	वित्तीय बाधाओं के कारण धारा 41 (नियोक्ताओं को प्रोत्साहन) का पालन नहीं किया गया
37.	तेलंगाना राज्य	राज्य प्रस्तुत करता है कि वह विभिन्न समितियों और विभागों के गठन की प्रक्रिया में है क्योंकि वे आंध्र प्रदेश के साथ इसके विभाजन के कारण विभाजित हो गए हैं।
38.	महिला एवं बाल सशक्तिकरण विभाग	धारा 49 (अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय प्रोत्साहन) और 66 (सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम) के संबंध में अनुपालन अभी भी कार्यान्वयन चरण में हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि गैर-अनुपालन के कारण बोधगम्य हैं, हालांकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1995 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का पालन करना चाहिए था।

8. यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि हमने सारणीबद्ध चार्ट को पुनः प्रस्तुत किया है ताकि प्रत्येक राज्य यह जान सके कि अन्य राज्यों ने क्या किया है और कौन इसका पालन करने में विफल रहा है और पूर्ण अनुपालन के मार्ग पर कदम उठा सके। इससे पहले कि वे 1995 के अधिनियम की परिकल्पना को पूरा कर पाते, संसद ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की राष्ट्रीय आवश्यकता और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन के प्रति प्रतिबद्धता को महसूस करते हुए 1995 के अधिनियम को निरस्त कर दिया और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (संक्षेप में, '20 एल 6 अधिनियम') लाया। उक्त 2016 अधिनियम को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को प्रभावी बनाने और उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए अस्तित्व में लाया गया है। हम अधिनियम की प्रस्तावना को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैंः-

> "विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए एक अधिनियम और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए। जहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसंबर, 2006 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अपने सम्मेलन को अपनाया;और चूंकि उपरोक्त कन्वेंशन विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित करता है,
>
> (ए) अंतर्निहित गरिमा का सम्मान, व्यक्तिगत स्वायत्तता जिसमें अपनी पसंद बनाने की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता शामिल है;
>
> (बी) गैर-भेदभाव;
>
> (सी) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेश;

(डी) मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में विकलांग व्यक्तियों के अंतर और स्वीकृति के लिए सम्मान;

(ई) अवसर की समानता;

एफ) पहुंच;

(जी) पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता;

(एच) विकलांग बच्चों की क्षमताओं का सम्मान और उनकी पहचान को संरक्षित करने के लिए विकलांग बच्चों के अधिकार का सम्मान;

और जहां भारत उक्त कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है।

और जहां भारत ने उक्त कन्वेंशन को 1-10-2007 का आंकलन किया।

और जहां तक उक्त कन्वेंशन के प्रवर्तन के लिए आवश्यक हो।

और जहां भारत गणराज्य के सत्तेसठसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया गया होः"

9. 2016 अधिनियम एक समुद्री परिवर्तन की कल्पना करता है और उक्त अधिनियम के तहत निहित लाभों के वास्तविककरण की कल्पना करता है। लाभ का पूरा व्याकरण बेहतरी के लिए बदल दिया गया है, और कई लोगों की जिम्मेदारियों को शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में, अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की शरीर रचना को स्कैन करना और उन्हें लागू करना अनिवार्य हो जाता है। कानून के ढांचे के भीतर निहित प्रशंसनीय नीति को लागू किया जाना चाहिए और यह एक दूर का सपना नहीं बनना चाहिए। कार्रवाई की तात्कालिकता वारंट है।

10. हम लाभ के साथ नोट कर सकते हैं कि 2016 अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि उक्त अधिनियम ऐसी तारीख को लागू होगा जिसे सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

11. भारत संघ की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री वी. मोहना ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को जारी राजपत्र अधिसूचना दायर की है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैंः-

> "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 19 अप्रैल, 2017 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम लागू होगा।" इस प्रकार, यह अधिनियम 19 अप्रैल, 2017 से लागू हो गया है।

12. धारा 2 (सी), 2 (एच), 2 (के), 2 (एम), 2 (वी) और 2 (जेडबी) क्रमशः "बाधा", "भेदभाव", "सरकारी प्रतिष्ठान", "समावेशी शिक्षा", "निजी प्रतिष्ठान" और "विशेष रोजगार विनिमय" को परिभाषित करती हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सुश्री मनाली सिंघल ने कहा कि 2016 के अधिनियम की प्रस्तावना और शब्दकोश खंड ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के दायरे का विस्तार किया है।

13. इस संदर्भ में, धारा 2 (पी), 2 (आर) और 2 (एस) संदर्भ के योग्य हैं। वे निम्नानुसार पढ़ते हैंः-

> "2 (पी)" स्थानीय प्राधिकरण "का अर्थ है एक नगरपालिका या पंचायत, जैसा कि अनुच्छेद के खंड (ई) और खंड (एफ) में परिभाषित किया गया है। संविधान का 243 पी; छावनी अधिनियम, 2006 के

तहत गठित एक छावनी बोर्ड; और नागरिक मामलों को प्रशासित करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण;

2 (आर) "बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति" का अर्थ है एक निर्दिष्ट विकलांगता के चालीस प्रतिशत से कम नहीं वाला व्यक्ति जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें एक विकलांग व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया है;

2 (एस) "विकलांग व्यक्ति" का अर्थ है दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी अक्षम व्यक्ति जो बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है।"

14. धारा 12 न्याय तक पहुँच से संबंधित है। वह इस प्रकार हैः

न्याय तक पहुँच

(1) उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विकलांग व्यक्ति किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण, आयोग या किसी अन्य निकाय तक पहुँचने के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम हैं, जिनके पास न्यायिक या अर्ध-न्यायिक या जांच शक्तियाँ हैं, बिना किसी भेदभाव के।

(2) उपयुक्त सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त सहायता उपाय करने के लिए कदम उठाएगी, विशेष रूप से वे जो परिवार से बाहर रहते हैं और जिन्हें कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उच्च समर्थन की आवश्यकता होती है।

(3) कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के तहत गठित राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आवास सहित प्रावधान करेंगे कि विकलांग व्यक्तियों को किसी भी योजना, कार्यक्रम, सुविधा या सेवा तक दूसरों के साथ समान रूप से पहुंच हो।

4. समुचित सरकार उचित कदम उठायेगी-

(क) यह सुनिश्चित करें कि समस्त लोक दस्तावेज सुलभ प्रारुप में उपलब्ध हो।

(ख) यह सुनिश्चित करें कि फाइलिंग विभागों, रजिस्ट्री या अभिलेखों के किसी अन्य कार्यालय को आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति की गई है ताकि दस्तावेजों और साक्ष्य को सुलभ प्रारूपों में दाखिल करने, संग्रहीत करने और संदर्भित करने में सक्षम हो सके। और

(ग) विकलांग व्यक्तियों द्वारा दी गई गवाही, तर्क या राय को उनकी पसंदीदा भाषा और संचार के साधनों में दर्ज करने की सुविधा के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराना।

15. धारा 16 (डी) शैक्षणिक संस्थानों के कर्तव्य से संबंधित है। धारा 17 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए विशिष्ट उपायों के लिए अभिनिर्धारित करता है। धारा 18 वयस्क शिक्षा से संबंधित है और यह प्रावधान करती है कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारी वयस्क शिक्षा और निरंतर शिक्षा कार्यक्रमों में अन्य लोगों के साथ समान रूप से विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को

बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेंगे। धारा 19 व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्व-रोजगार से संबंधित है।

16. धारा 24 अध्याय 5 में आती है, जहाँ शीर्षक 'सामाजिक ए सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन' है। धारा 25 स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। धारा 31 मानक विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा से संबंधित है। धारा 32, जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है, इस प्रकार हैः-

"32 उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण

(1) उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य उच्च शिक्षा संस्थान कम से कम पाँच प्रतिशत आरक्षित रखेंगे। बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए सीटें।

(2) मानक विकलांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु में पांच साल की छूट दी जाएगी।"

17. धारा 33 आरक्षण के लिए पदों की पहचान से संबंधित है और धारा 34 आरक्षण का प्रावधान करती है। धारा 35 निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने से संबंधित है। महत्वपूर्ण होने के कारण इन प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"33. आरक्षण के लिए पदों की पहचान उपयुक्त सरकार

(i) उन प्रतिष्ठानों में पदों की पहचान करेगी जो धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के संबंध में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की संबंधित श्रेणी द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं;

(ii) ऐसे पदों की पहचान के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी; और

(iii) तीन साल से अधिक के अंतराल पर चिन्हित पदों की आवधिक समीक्षा करेगी।

34. आरक्षण -

(I) प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में नियुक्ति करेगी, जो प्रत्येक समूह के पदों में संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के कम से कम चार प्रतिशत से कम नहीं होगी, जो मानक विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने वाले हैं, जिनमें से एक प्रतिशत है। प्रत्येक खंड (ए), (बी) और (सी) और एक प्रतिशत के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा। खंड (डी) और (ई) के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए, अर्थात्ः-

(ए) अंधापन और कम दृष्टि;

(बी) बधिर और सुनने में कठिनाई;

(सी) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता;

(डी) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;

(ई) खंड (ए) सी से (डी) के तहत व्यक्तियों में से कई अक्षमताएं, प्रत्येक अक्षमता के लिए पहचाने गए पदों में बधिरता सहितः

बशर्ते कि पदोन्नति में आरक्षण ऐसे निर्देशों के अनुसार होगा जो समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा जारी किए जाते हैंः

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के परामर्श से, यथास्थिति, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो ऐसी अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट की जाए, किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान को इस धारा के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

(2) जहां किसी भी भर्ती वर्ष में किसी उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारणों से कोई रिक्ति नहीं भरी जा सकती है, ऐसी रिक्ति को उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाएगा और यदि उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष में भी मानक विकलांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो इसे पहले पांच श्रेणियों के बीच आदान-प्रदान द्वारा भरा जा सकता है और केवल जब उस वर्ष में पद के लिए कोई विकलांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो नियोक्ता किसी विकलांग व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगाः

बशर्ते कि किसी प्रतिष्ठान में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी हो कि किसी दिए गए वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो रिक्तियों को उपयुक्त सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ पांच श्रेणियों के बीच बदला जा सकता है।

(3) उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए ऊपरी आयु सीमा में ऐसी छूट प्रदान कर सकती है, जो वह उचित समझे।

35. निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके कार्यबल का कम से कम पांच प्रतिशत मानक विकलांग व्यक्तियों से बना हो।"

18. जैसा कि ध्यान देने योग्य है, 1995 के अधिनियम के तहत, संसद ने अपनी चिंता व्यक्त की थी और कई श्रेणियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था और इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिया था और कुछ राज्यों ने कुछ हद तक प्रावधानों को लागू किया है।

19. हम अपने कर्तव्य में विफल होंगे यदि हम धारा 84 पर ध्यान नहीं देते हैं जो 2016 के अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत के निर्माण का प्रावधान करती है। धारा 85 विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए निर्धारित करती है। इस प्रकार, विशेष अदालत, त्वरित सुनवाई और विशेष लोक अभियोजक पर जोर दिया जाता है।

20. अध्याय XVI के तहत, अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड के लिए धारा 89 के प्रावधान के साथ अपराधों और दंड से निपटा गया है। उक्त खंड इस प्रकार हैः-

"89 अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है, पहले उल्लंघन के लिए जुर्माने से दंडनीय होगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है और बाद में किसी भी उल्लंघन के लिए जुर्माने से दंडनीय होगा जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है।"

21. धारा 90 कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है। इसे इसे निमन्वत समझा जा सकता हैः-

"90. कंपनियों द्वारा किए गए अपराध -

(1) जहां किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध के समय कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था और उसके लिए जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगाः बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी व्यक्ति को इस अधिनियम में प्रदान किए गए किसी भी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा, अगर वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसा अपराध करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया था।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और यह

साबित होता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि। अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा।

स्पष्टीकरणः इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) "कंपनी" का अर्थ है कोई भी निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ है फर्म में एक भागीदार।

22. धारा 92 अत्याचार के अपराधों के लिए सजा से संबंधित है और धारा 93 जानकारी देने में विफलता के लिए सजा का प्रावधान करती है।

23. हमने प्रावधानों का उल्लेख केवल इस बात को उजागर करने के लिए किया है कि 2016 का अधिनियम अधिनियमित किया गया है और इसकी कई मुख्य विशेषताएं हैं। जैसा कि हम पाते हैं, विकलांग व्यक्तियों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और अधिक श्रेणियां जोड़ी गई हैं। इसके अलावा, न्याय तक पहुंच, मुफ्त शिक्षा, स्थानीय अधिकारियों की भूमिका, राष्ट्रीय कोष और विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य कोष बनाया गया है। 2016 का अधिनियम उल्लेखनीय रूप से धारणा में एक बड़ा

बदलाव है और विकलांग व्यक्तियों और राज्यों, स्थानीय अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों और कंपनियों की भूमिका के संबंध में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कानून एक व्यापक स्पेक्ट्रम में काम करता है और अधिकारों की रक्षा करने और उनके उल्लंघन के लिए सजा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है।

24. मुख्य पहलुओं में बदलाव के संबंध में, हम मानते हैं कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2016 के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बारह सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देना उचित होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह महसूस करना चाहिए कि 2016 के अधिनियम के तहत उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उन्हें अधिनियम के उद्देश्य को साकार करने की आवश्यकता है, क्योंकि विकलांगों के अधिकारों के संबंध में कई क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। जब कानून विकलांग व्यक्तियों के लिए इतना चिंतित होता है और प्रावधान करता है, तो यह कानून निष्पादन अधिकारियों का दायित्व है कि वे इसे काफी शीघ्रता से लागू करें। इस संबंध में उठाए गए कदमों को निर्धारित समय के भीतर अनुपालन रिपोर्ट में ठोस रूप से बताया जाएगा। जब हम राज्यों को निर्देश दे रहे होते हैं, तो राज्यों और उनके अधिकारियों पर यह देखने का भी कर्तव्य डाला जाता है कि सहकारी समितियों, कंपनियों, फर्मों, संघों और प्रतिष्ठानों, संस्थानों के लिए निहित और लागू होने वाले वैधानिक प्रावधानों का ईमानदारी से पालन किया जाए। राज्य सरकारें 2016 के अधिनियम की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगी ताकि यह न्यायालय प्रगति की सराहना कर सके। राज्यों द्वारा दाखिल की जाने वाली अनुपालन रिपोर्ट याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, भारत संघ के विद्वान वकील के साथ-साथ आवेदक/हस्तक्षेपकर्ता के विद्वान वकील को प्रदान की जाएगी ताकि वे न्यायालय की सहायता कर सकें।

26. रजिस्ट्री को आज पारित आदेश की एक प्रति राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

27. मामले को 16 अगस्त, 2017 को सूचीबद्ध होने दें, मामले को स्थगित किया जाता है।

निधि जैन

मामला स्थगित।

यह अनुवाद AI टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।